न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

उपस्थितः अजय कुमार शाही, एच०जे०एस० (प्रभारी सत्र न्यायाधीश)

(JO CODE- UP 6082)

UPAZ010020912026

जमानत प्रार्थना पत्र सं.- 962/2026

1- मो० आमिर उम्र लगभग 23 साल पुत्र जाहीद

2- युसूफ उम्र लगभग 24 साल पुत्र ऐनुद्दीन

निवासीगण कौड़िया, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **.....विपक्षी/अभियोगी।**

एवं

UPAZ010025582026

जमानत प्रार्थना पत्र सं.- 1064/2026

1- साकिब उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र परवेज निवासी कौड़िया, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़। **.....आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....विपक्षी/अभियोगी।

दिनांक- 30.03.2026

1. प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत **धारा 483 बी.एन.एस.एस.** आवेदकगण/ अभियुक्तगण **मो० आमिर, युसूफ तथा साकिब** की तरफ से मु०अ०सं०-**75/2026** अंतर्गत **धारा-3(5), 109, 351(3), 352 बी.एन.एस., व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम,** थाना- **फूलपुर** जनपद **आजमगढ़** के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/ अभियुक्तगण कारागार में निरुद्ध है।

2- उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही घटना तथा एक ही मुकदमा अपराध संख्या से संबंधित हैं, जिस कारण इनका निस्तारण संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

3. जमानत प्रार्थनापत्रों के समर्थन में जाहिद तथा अजीजुल्लाह द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि जमानत प्रार्थना पत्रों में वर्णित समस्त कथन उनकी निजी जानकारी में सही व सच है।

4. **संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि** वादी मुकदमा एस.ओ. सच्चिदानन्द द्वारा थाना स्थानीय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 04.03.2026 को वादी मुकदमा मय हमराहियान मुखबिर की सूचना पर मुड़ियार गांव जाने वाली रोड के पास स्थित

Digitally signed by AJAY KUMAR SHAHI
Date: 2026.03.30 16:37:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पुलिया के नजदीक पहुंचा तो कुछ लोगों द्वारा बातचीत करने की आवाज आयी। पुलिस वाले पुलिया पर बैठा व्यक्तियों की घेराबंदी कर उन पर टार्च की रोशनी डालते हुए तेज आवाज में बताये कि तुम्हारे चारों तरफ पुलिस है, भागने का प्रयास मत करना, तभी उधर से बदमाशों ने गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि आमिर गोली मारो, नहीं तो पकड़े जायेंगे। बदमाशों ने अपने को पुलिस से घिरा हुआ देखकर अपने पास लिये तमंचे से एक राय होकर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए कहे कि पकड़ने की कोशिश करोगे तो गोली मार देंगे। यह कहते हुए पुलिस वालों पर लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से एक फायर कर दिया कि गोली पुलिस वालों के आसपास से सनसनाते हुए निकल गयी। पुलिस बल द्वारा पुनः तेज आवाज में ललकार कर आत्मसमर्पण के लिए कहा, परंतु बदमाशों ने पुलिस वालों की बात को अनसुना करके पुनः लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से पुनः फायर कर दिया कि गोली वादी के सिर के ऊपर से निकल गयी। पुलिस बल ने मौत को सामने देखकर गिरफ्तारी हेतु कम हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आत्मरक्षार्थ वादी तथा व.उ.नि. गंगा राम बिन्द द्वारा एक-एक राउंड फायर किया गया तभी सामने से एक व्यक्ति के कराहने की आवाज आने लगी तथा बदमाशों ने फायर बंद कर दिया। दो बदमाश सामने आम के बाग की तरफ भाग, जिनको पकड़ने के लिए उ.नि. अजीज खान, उ.नि. दयानन्द, कां. विनोद यादव, कां. सौरभ यादव, कां. राजकुमार पटेल, कां. इरफान अहमद ने हिकमत अली से एकबारगी दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस वाले कराहने वाले बदमाश के पास पहुंचे तो देखा इक बदमाश जमीन पर पड़ा है जिसके बगल में एक तमंचा व एक खोखा कारतूस पड़ा है। पकड़े गये बदमाश ने अपना नाम मो० आमिर बताया जिसकी जामा तलाशी लेने पर उसकी दाहिने जेब से एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, बायें जेब से एक अदद मोबाइल, 100/- रू. नगद तथा पास में एक अदद तमंचा .315 बोर, एक खोखा कारतूस .315 बोर पड़ा है। मौके पर पकड़े गये दूसरे बदमाश ने अपना नाम साकिब बताया, जिसकी जामा तलाशी लेने पर जैकेट के अंदर बायें जेब से एक अदद पशु काटने का चापड़, पैंट की दाहिने जेब से 120/- रू. बरामद हुआ। पकड़े गये तीसरे बदमाश ने अपना नाम युसुफ बताया जिसकी जामा तलाशी लेने पर लोवर के बायें जेब से एक अदद पशु काटने का चापड़, दाहिने जेब से 110/- रू., एक अदद मोबाइल बरामद हुआ।

5. **आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि** आवेदकगण निर्दोष हैं, रंजिशन अभियुक्त बना दिये गये हैं। आवेदकगण मो. आमिर, युसूफ का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा दिनांक 05.03.2026 से कारागार में निरूद्ध हैं। आवेदकगण को दिनांक 04.03.2026 को पुलिस घर से पकड़कर ले गयी तथा मु.अ.सं. 71/26 में वांछित कर दिया। सारी बातें अपने मन मुताबिक लिखा है। आवेदकगण के पास से कोई सामान या गोमांस नहीं हुआ है। काल्पनिक तौर पर कहा गया है कि मांस को काटकर अपने अपने घर गये। उसी रात्रि को आवेदक सं. 1 के पैर में गोली की काल्पनिक कहानी बनाकर मारे हैं, जिसमें आवेदक सं. 1 घायल है। आवेदक साकिब को पुलिस ने घटनास्थल से गिरफ्तार न करके अन्यत्र गिरफ्तार किया है तथा मुकदमे की गंभीरता बढ़ाने के लिए आवेदक को सहअभियुक्त के साथ अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक साकिब के पास से कोई असलहा बरामद नहीं हुआ है और न ही उसके द्वारा किसी पुलिस के व्यक्ति को हानि पहुंचाने का उल्लेख किया गया है। आवेदक साकिब दिनांक 06.3.2026 से कारागार में निरूद्ध है। आवेदकगण के जमानत पर छूटने से फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदकगण जमानत का

दुरूपयोग नहीं करेंगे, बल्कि विवेचना में सहयोग करेंगे। आवेदकगण की प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई जमानत प्रार्थना पत्र मा० उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदकगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

6. **विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** द्वारा जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त हैं। अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर पुलिस पर लक्ष्य करके जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। अभियुक्त आमिर के पास से एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, एक अदद तमंचा .315 बोर, एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है। अभियुक्तगण साकिब तथा युसुफ के पास से एक-एक अदद पशु काटने का चापड़ बरामद हुआ है। अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप हत्या के प्रयत्न जैसे गंभीर कृत्य से संबंधित है तथा आजीवन कारावास तक से दंडनीय है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों/पत्रावली का अनुशीलन किया।

7- प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनानुसार अभियुक्तगण पर एक राय होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने तथा अभियुक्त आमिर के पास से एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, एक अदद तमंचा .315 बोर, एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद होने तथा अभियुक्तगण साकिब तथा युसुफ के पास से एक-एक अदद पशु काटने का चापड़ बरामद होने का आरोप लगाया गया है। केस डायरी पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया इस स्तर पर यह पाया जाता है कि अभियोजन द्वारा पुलिस बल के साथ हुई मुठभेड़ में अभियुक्तगण को पकड़ना बताया गया है, किन्तु किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी है अर्थात् प्रस्तुत मामला NO INJURY का है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के समय अभियुक्तगण के पास से तमंचा, कारतूस, चापड़ बरामद किया जाना कहा गया है किन्तु उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी का कोई स्वतन्त्र जन साक्षी नहीं है। सभी गवाह पुलिस कर्मी हैं जिन्हें प्रभावित किये जाने की संभावना विद्यमान नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 06.03.2026 से कारागार में निरूद्ध है। जिस मामले में अभियुक्तगण को गोकशी में शामिल होना बताया गया है उसमें अभियुक्तगण की जमानत स्वीकृत हो चुकी है। उस मुकदमे के अतिरिक्त संबंधित थाने से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाने योग्य है।

8- इस आदेश में मुकदमे के गुणदोष पर की गयी टीका-टिप्पणी जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु की गयी है जिसका मुकदमे के विचारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9- अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **मो० आमिर, युसूफ तथा साकिब** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मुबलिग **50,000/-** (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/

न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है।

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेंगे तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होंगे अथवा किसी अपरिहार्य परिस्थिति में जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेंगे तथा साक्षियों से प्रतिपरीक्षा पर कोई स्थगन नहीं प्रस्तुत करेंगे।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेंगे तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देंगे।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होंगे तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जायेंगे।

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा। आदेश की एक-एक प्रति दोनों जमानत प्रार्थना पत्रों में रखी एवं पढी जाये।

दिनांक-30.03.2026

(अजय कुमार शाही)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़।